

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक

पुनर्वित्त विभाग

प्रधान कार्यालय : बीकेसी, बान्द्रा (पू), मुम्बई - 400 051
टेलि. : +91-22-2652 4926 • फेक्स : +91-22-2653 0090
ई-मेल : dor@nabard.org • वेबसाईट : www.nabard.org



**National Bank for Agriculture
and Rural Development**

Department of Refinance

Head Office : BKC, Bandra (E) Mumbai - 400 051
Tel. : +91-22-2652 4926 • Fax : +91-22-2653 0090
E-mail : dor@nabard.org • Website : www.nabard.org

Ref.No.NB.DoR.GSS/5278 /RG-4/2012-13

20 March 2013

Circular No. 59 /DoR- 14 /2013

The Chairman/ Managing Director
All Scheduled Commercial banks/
All Scheduled (Primary) Urban
Cooperative Banks
All RRBs/ADFCs/SCBs/SCARDBs

Dear Sir

Gramin Bhandaran Yojana -
Multiple godowns at the same survey number

We invite a reference to paragraph (ii) of our Circular No.136/ICD-32/2009, dated 26 August 2009 wherein it was advised that "if more than one godowns are located in the same premises, then, it may be examined as to whether such godowns are proposed to be built on the land located in different gatta/survey nos and whether they separately have all the required amenities and space. Only if they have such separate specifications, they may be considered as projects in different locations, for the purpose of subsidy. Otherwise, they may be considered as a single project only and overall subsidy for such project may be limited to 10000 MT (revised to 30000 MT)".

2. In this connection Gol has clarified that the above is applicable only in the case of one applicant constructing the godown at same survey number but if the godown is constructed by different promoters on the same gatta/survey number they are entitled for subsidy claim.

3. The clarifications received from Gol may be brought to the notice of all controlling offices/ branches of your bank.

Yours faithfully

(Padma Raghunathan)
General Manager

F:\survey number-godown.doc

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक

पुनर्वित्त विभाग

प्रधान कार्यालय : बीकेसी, बान्द्रा (पू), मुम्बई - 400 051
टेलि. : +91-22-2652 4926 • फैक्स : +91-22-2653 0090
ई-मेल : dor@nabard.org • वेबसाईट : www.nabard.org



National Bank for Agriculture
and Rural Development

Department of Refinance

Head Office : BKC, Bandra (E) Mumbai - 400 051
Tel. : +91-22-2652 4926 • Fax : +91-22-2653 0090
E-mail : dor@nabard.org • Website : www.nabard.org

संदर्भ सं.राबैं.पुवि.जीएसएस/ 5278 /आरजी-4/12-13

20 मार्च 2013

परिपत्र सं. 59 /पुवि- 14 / 2013

अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक

सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक/ सभी अनुसूचित (प्राथमिक) शहरी सहकारी बैंक
सभी क्षेत्रीय बैंक/ एडीएफसीज़/रास बैंक/ एससीएआरडीबी

प्रिय महोदय

ग्रामीण भंडारण योजना - एक ही सर्वे संख्या के अंतर्गत एक से अधिक गोदाम

हम आपका ध्यान दिनांक 26 अगस्त 2009के परिपत्र सं.136/आईसीडी-32/2009 के पैरा (ii) की ओर आकर्षित करते हैं जिसमें यह सूचित किया गया था कि ' यदि एक ही परिसर में एक से अधिक गोदाम स्थित हैं तो, यह जांच की जाए कि क्या उन गोदामों के निर्माण भिन्न- भिन्न गट्टा/ सर्वे संख्या के अंतर्गत स्थित भूमि पर किया जाना प्रस्तावित था और क्या उनके पास अपेक्षित सुविधाएं तथा जगह अलग-अलग रूप से उपलब्ध हैं. यदि उनके पास इस प्रकार की विनिर्दिष्ट सुविधाएं आदि अलग-अलग उपलब्ध हैं तो ही उन्हें सब्सिडी के प्रयोजन से भिन्न-भिन्न स्थलों में स्थित परियोजनाओं के अंतर्गत माना जाएगा अन्यथा उन्हें एक परियोजना के अंतर्गत ही माना जाएगा और ऐसी परियोजना की सब्सिडी की समग्र राशि 10,000 एमटी (संशोधित 30,000 एमटी) के अनुसार ही मानी जाएगी.

2. इस संबंध में भारत सरकार ने स्पष्ट किया है कि उक्त शर्त केवल उसी मामले में लागू होगी जहां एक आवेदनकर्ता एक ही सर्वे संख्या के अंतर्गत गोदाम का निर्माण करता है परंतु यदि गोदाम का निर्माण उसी गट्टा/ सर्वे संख्या के अंतर्गत भिन्न-भिन्न प्रमोटरों द्वारा किया जाता है तो वे सब्सिडी दावे के लिए पात्र होंगे.

3. भारत सरकार से उक्त संबंध में प्राप्त सूचना से कृपया अपने बैंक के सभी नियंत्रक कार्यालयों और शाखाओं को अवगत कराएं.

भवदीय

पद्मा रघुनाथन

(पद्मा रघुनाथन)

महाप्रबंधक

०/८